न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10/2022 **दायर दिनांकः 07/11/2022**

उनवान

1. शान्ति पुत्री नन्दलाल जाति रेगर निवासी कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच महोदय ग्राम पंचायत कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 1020 दिनांक 25/02/2020
ग्राम पंचायत कुन्जैड तहसील अटरू

उपस्थिति :—
अपीलार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
रेस्पोडेन्टस :—विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार

आदेश

दिनाकः /03/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कुन्जैड़ तहसील अटरू की सम्वत् 2074 से 2077 मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या पुराना 455 नया 478 का ख.नं. 724 का रकबा 0.57 हे0 आराजी तथा खाता संख्या पुराना 356 नया 479 का ख. नं. 581 का रकबा 3.22 हे0, ख.नं. 582 का रकबा 1.39 हे0 कुल किता 2 का रकबा 4.61 हे0 आराजी अपीलार्थी व अन्य सहखातेदारान के खाते दर्ज थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 अपील के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। अपीलार्थी वर्तमान में जिवित है तथा अपीलार्थी के नाम की अन्य महिला की मृत्यु हुई है। इसलिए गलती से अपीलार्थी के जिवित होने के उपरान्त भी अपीलार्थी की उक्त जमीन का फौती इन्तकाल नं. 1020 दिनांक 25.02.2020 खोल दिया गया है। जिसको अपीलार्थी निरस्त करवाना चाहती है। इसलिए इन्तकाल नं. 1020 दिनांक 25.02.2020 ग्राम पंचायत कुन्जैड़ को निरस्त किया जावे। इसलिए यह अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

रेस्पोडेन्ट क्रम 2 भूमिधारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अपील पेश करने का कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.07.2022 को पटवार हल्का से नकले लेने जाने पर नकल में अपने नाम के स्थान पर फौती इन्तकाल खुलने की जानकारी होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें अतः अपीलार्थी अपील प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपील की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में अपीलार्थी के जिवित होते हुये भी उसे मृतक मानकर उसके स्थान पर खोले गये फौती इन्तकाल नं. 1020 दिनांक 25.02.2020 ग्राम पंचायत कुन्जैड़ को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट कृम 1 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट कृम 2 द्वारा जवाब अपील पेश कर कथन किया गया कि बिंदु संख्या 1 कृम में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट वाद पत्र में वर्णित आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074–77 के ग्राम कुंजेड़ के खाता संख्या 473 के खसरा नम्बर 724 रकबा 0.57 हे0 व खाता संख्या 474 की खसरा संख्या 581 रकबा 3.22 हे0, 582 रकबा 1.39 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.61 हे0 भूमि में वादी शांति बाई पुत्री नंदलाल पुत्री नंदलाल जाति रेगर के अन्य सहखातेदारान के साथ शामलाती खाते में दर्ज है। बिंदु संख्या 2 के कृम में पटवारी हल्का रिपोर्ट वर्तमान में वादी शांतिबाई पुत्री नंदलाल जाति रैगर जीवित है। वादी के नाम की अन्य महिला की मृत्यु होने के कारण मंद न. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से नामांतरण संख्या 1020 दिनांक 25.02.2020 को खोला गया था जो दिनांक 05.03.2020 को स्वीकृत हो गया है । अतः उक्त नामांतरण संख्या 1020 को नियमानुसार निरस्त किया जाना उचित है। बिंदु संख्या 3 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिंदु संख्या 4 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिंदु संख्या 5 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिंदु संख्या 6 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिंदु संख्या 7 माननीय न्यायालय से संबंधित है।

3. अभिभाषक अपीलान्टस् की बहस सुनी। अभिभाषक अपीलान्टस ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कुंजेड की विवादित आराजी खाता संख्या

455 कुल किता 1 रकबा 0.57 है0 एवं खाता संख्या 356 किता 2 रकबा 4.61 है0 में अपीलार्थी शांतीबाई रेगर सहखातेदार के रूप में दर्ज थी। ग्राम कुंजेड की शांतीबाई रेगर नाम की एक अन्य महिला की मृत्यु हुई थी लेकिन राजस्व विभाग के कार्मिकों एवं ग्राम पंचायत द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के विवरण पर गोर किये बिना ही अपीलार्थी को मृत मानते हुए फौती इंतकाल संख्या 1020 दिनांक 25.02.2020 तस्दीक कर दिया गया जबकि अपीलार्थी जीवित है। अतः ग्राम पंचायत व राजस्व विभाग द्वारा जीवित अपीलार्थी को मृत मानकर बिना साक्ष्य के खोले गये इंतकाल संख्या 1020 दिनांक 25.02.2020 को खारिज फरमाया जावे।

4. अभिभाषक अपीलांट की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कुंजेड की जमाबंदी संवत 2074–77 के अनुसार खाता संख्या 474 ख0नं0 581 रकबा 3.22 है0 व ख0नं0 582 रकबा 1.39 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.61 है0 शांतीबाई पुत्री नन्दलाल रेगर व अन्य की सहखातेदारी में दर्ज थी। इसी प्रकार ग्राम कुजेड का ख0नं0 724 रकबा 0.57 है0 भी शांतीबाई पुत्री नन्दलाल रेगर व अन्य के खाते दर्ज थी। अपीलार्थी द्वारा पेश नामान्तरण संख्या 1020 दिनांक 25.02.2020, संलग्न शांतीबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 03.05.2018 व ग्राम पंचायत द्वारा जारी शांतीबाई पुत्री नन्दलाल के वारीसान प्रमाण पत्र दिनांक 27.11.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम हिंगोनिया तहसील अन्ता निवासी शांतीबाई पुत्री लोडू की मृत्यु हुई है जिसकी ग्राम कुंजेड तहसील अटरू में स्थित आराजी खाता संख्या 463 कुल किता 5 कुल रकबा 6.43 है0 है तथा जाति धाकड है। नामान्तरण पंजिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी कुंजेड द्वारा शांतीबाई पुत्री नन्दलाल जाति रेगर का इंतकाल खोला गया जिसे ग्राम पंचायत कुंजेड द्वारा बिना जांच पडताल द्वारा तस्दीक कर दिया गया। ग्राम पंचायत कुंजेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 10.02.2023 के अनुसार सहखातेदार शांतीबाई पुत्री नन्दलाल रेगर निवासी कुंजेड वर्तमान में जीवित है। तात्कालिन पटवारी पटवार हल्का कुंजेड व तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कुंजेड द्वारा गम्भीर लापरवाही किया जाना साबित होता है।

5. प्रतिवादी क्रम 2 /तहसीलदार अटरू द्वारा पेश जवाब अपील दिनांक 12.12.2022 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि पटवारी कुंजेड, भू.अभि.निरी. कुंजेड व ग्राम पंचायत कुंजेड द्वारा वास्तविक मृतक शांतीबाई पुत्री लोडू जाति धाकड की जगह शांतीबाई पुत्री नन्दलाल जाति रेगर का इंतकाल तस्दीक किया जाना स्वीकार किया गया है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर मृतक शांतीबाई पुत्री लोडूलाल जाति धाकड की जगह शांतीबाई पुत्री नन्दलाल जाति रेगर का नामान्तरण तस्दीक किया जाना साबित होता है जो कि अवैध एवं विधी विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की ग्राम कुंजेड की विवादित आराजी के संबंध में अपील न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 (D) एल0आर0 एक्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत कुंजेड द्वारा खोला गया इन्तकाल **संख्या 1020 दिनांक 25.02.2020 खारिज** किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि ग्राम कुंजेड के ख0नं0 724 रकबा 0.57 है0 तथा ख0नं0 581 रकबा 3.22 है0 , ख0नं0 582 रकबा 1.39 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.18 है0 आराजी में सहखातेदार/अपीलान्ट की शांतीबाई पुत्र नन्दलाल रेगर के फौती इंतकाल संख्या 1020 दिनांक 25.02.2020 निरस्त मानकर पुनः शांतीबाई पुत्री नन्दलाल रेगर का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक /03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां